

राजस्थान सरकार  
कार्यालय आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर  
एफ25(डी)13/लेखा/आ. नि./आकाशि/2016/3835 दिनांक 4/01/2019

समस्त सहायक निदेशक  
क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा

समस्त प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान

विषय :- महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों एवं भौतिक सत्यापन के बकाया आक्षेपों की अनुपालना भिजवाने बाबत।  
संदर्भ :- आयुक्तालय के पूर्व पत्र क्रमांक एफ25(डी)13/आ.नि./लेखा/आकाशि /2016/3787-95 दिनांक 4.06.2018 व 682-685 दिनांक 12.07.2018 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग के आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों व भौतिक सत्यापन के बकाया आक्षेपों की पालना शीघ्र भिजवाने हेतु पूर्व में भी संदर्भित पत्रों द्वारा लिखा गया था किन्तु अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा अनुपालनाएं नहीं भिजवायी गई है। इस संबंध में उच्च स्तर पर अधिकारियों द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण के बकाया आक्षेपों के निरस्तीकरण की धीमी गति को गम्भीरता से लिया गया है। महाविद्यालयों द्वारा पूर्व में प्रेषित अपूर्ण अनुपालना को ही पुनः प्रस्तुत कर समय एवं संसाधनों का अपव्यय किया है।

अतः इस संबंध में पुनः लेख हैं कि आपके महाविद्यालय से संबंधित महालेखाकार एवं निरीक्षण विभाग के प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों की निरस्तीकरण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर ठोस एवं पूर्ण अनुपालना दो प्रतियों में तैयार कर 10 दिवस में भिजवाने की व्यवस्था करावें अन्यथा आपके विरुद्ध आवश्यकतानुसार अनुशासनिक कार्यवाही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

-5d-  
वित्तीय सलाहकार  
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर  
दिनांक 4/01/19

एफ25(डी)13/लेखा/आ. नि./आकाशि/2016/3835  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राज. जयपुर।
3. प्रभारी अधिकारी, विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

  
वित्तीय सलाहकार  
कॉलेज शिक्षा राज0 जयपुर